भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES (×4)

::श्री::

2

:: न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल मध्य- प्रदेश ग्वालियर ::

R-2649-PBR/12

कार्यालय कलेक्टर धार
शाखा R.M.
- 4 JUN 2012
अधीक्षक कलेक्टर

§1§- कन्हैयालाल पिता शिवनारायण जाति कुमावत आयु §25§ वर्ष, धन्दाकृषि, निवासी ग्रामभानगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार § मध्य- प्रदेश §

:--निगरानीकर्ता

बनाम्

कलेक्टर कार्यालय धार से आज दिनांक 24-7-12 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत। 24-7-12

§1§- सुहागीबाई पिता जगन्नाथ पति राधेश्याम, आयु §35§ वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम भानगढ़, तहसीलसरदारपुर, जिला धार §म.प्र.§

§2§- शिवनारायण पिता जगन्नाथ आयु §60§ वर्ष, जाति कुमावत, व्यवसायकृषि, निवासी ग्राम भानगढ़, तहसील सरदारपुर, जिलाधार§म.प्र.§

:----विपक्षीगण

//: निगरानी धारा §50§ भू.राजस्व संहिता के अन्तर्गत ://

क.ब. 30-7-12

मान्यवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में निगरानीकर्ता कीओर से अत्यन्त विनम्रता पूर्वक अर्ज है, कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध असत्य आरोप लगाकर असत्य प्राथना-पत्र वकार्यवाही अनुविभागीयअधिकारी सरदारपुर के समक्ष सुहागी बाई की तरफ से प्रस्तुत हुई है, जिससंबंध में उसे यानिसुहागीबाई को जो प्रायवेट पक्ष है, विधी अनुसार जो कुछ भी तहसील न्यायालयसे अथवा राजस्व निरीक्षक या पटवारीमोजा नेम्रनाम केसंबंध में रद्दोबदल कियाहै तो उसके संबंध में धारा §44§ भू. राजस्वसंहिता के अन्तर्गत वरिष्ठन्यायालय में अपील प्रस्तुत करना थी, ऐसा न कर सीधे अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मे रिव्यू की कार्यवाही प्रस्तुत की जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/2010-11 रिव्यू पर दर्ज हुई और उसमे बिना सुनवाई का अवसरदिये इन सब आपत्तियों परविचार किये बगैर धारा §51§ :1,3,: केअन्तर्गत

निरन्तर---2पर

[signatures]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2649–पीबीआर/12 [कन्हैयालाल/सुलाबाई] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–3–2016	इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–1–2016 को आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया है, परन्तु त्रुटिवश आदेश दिनांक 19–1–2015 टंकित हो गया है, अतः दिनांक 19–1–2015 के स्थान पर दिनांक 19–1–2016 पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । अतः मूल आदेश के साथ संलग्न की जाये । अध्यक्ष	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2649—पीबीआर / 12 [कन्हैयालाल/सुहानीबाई आदि] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19—1—2015	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। उन्होंने आवेदकपक्ष के द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । प्रकरण आवेदकपक्ष के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	